197

संख्या /12–XIX–2/02 मु0मं0घो0/2011

प्रेषक,

सुबर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त ,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 24 अप्रैल, 2012

विषयः **माह अप्रैल, 2012 से ए0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि माह अप्रैल, 2012 एवं उसके पश्चातवर्ती माहों में ए0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को पूर्व निर्धारित मूल्यों पर उतनी ही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा, जितना कि भारत सरकार द्वारा ए0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड धारकों के उपयोगार्थ आवंटित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार अनुपालन/कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव

संख्या 170 (i)/12–XIX–2/02 मु0मं0घो0/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
2– निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
4– सचिव, गोपन विभाग को उनके पत्र दिनांक 13.04.2012 के आदेशों के अनुपालन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये सूचनार्थ प्रेषित।
5– आयुक्त गढवाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ सम्भाग/गढ़वाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
8– वित्त नियंत्रक अधिकारी, आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
9– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यू0सी0 कबडवाल)
अपर सचिव

GIS- letter 2012